5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(47)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2017/2113

निगरानी प्र.क्रं. :– पीबीआर/2017 तह. हंडिया जि.हरदा

प्रस्तुत दिनांक :–

याचिकाकर्तागण :–1. कोमलराम आ. काशीराम विश्नोई

2. कृष्णकान्त आ. कोमलराम विश्नोई

दोनो निवासी ग्राम डोमनमऊ तहसील हंडिया

जिला हरदा

दिवाकर दीक्षित (व.)
28-8-17

बनाम

उत्तरदातागण :–1. श्यामलाल आ. राधाकृष्ण विश्नोई निवासी

शिवाजी चौक, हरदा तहसील व जिला हरदा

2. रामगोविन्द आ. राधाकृष्ण विश्नोई निवासी ग्राम

कडोलाउबारी तहसील व जिला हरदा

3. रामसेवक आ. राधाकृष्ण विश्नोई निवासी ग्राम

डोमनमऊ तहसील हंडिया जिला हरदा

4. शिवराम आ. राधाकृष्ण विश्नोई निवासी

बी/36 राजस्व विनीतकुंज भोपाल म.प्र.

5. ओमप्रकाश आ. राधाकृष्ण विश्नोई निवासी

बी/36 राजस्व विनीतकुंज भोपाल म.प्र.

6. रामलाल आ. राधाकृष्ण विश्नोई निवासी

कड़ोलाउबारी तहसील व जिला हरदा

श्री दिवाकर दीक्षित, अधि. द्वारा आज दि. 21/8/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वा. 21/8/17

द. कोमलराम   कृष्णकांत

//02//

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.सं.</u>

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार हंडिया के रा.प्र.कं. 80अ/27वर्ष 15–16 ग्राम डोमनमऊ मे पारित आदेश दिनांक–24/07/17 की अनियमितता से दुखी, संतप्त एवं पीड़ित होकर नीचे लिखे एवं अन्य आधारो पर याचिकाकर्तागण यह निगरानी याचिका समयावधि मे प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / हरदा / भू.रा. / 2017 / 2713

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	आवेदकगण की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24–7–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 23–4–2015 के पालन में कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये । अतः यह निगरानी चलाने का कोई आधार नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	